



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13062024-254687
CG-DL-E-13062024-254687

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2153]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 12, 2024/ज्येष्ठ 22, 1946

No. 2153]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 12, 2024/JYAISHTHA 22, 1946

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 12 जून, 2024

विषय: अग्रिम प्राधिकार-पत्र धारकों, ईओयू और एसईजेड द्वारा अनिवार्य गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों (क्यूसीओ) के अधीन निविष्टियों के आयात हेतु प्रावधानों को सक्षम बनाने के लिए दिनांक 06.06.2024 की अधिसूचना सं. 16/2024-25 हेतु शुद्धिपत्र-के संबंध में।

का.आ. 2255(अ).—विदेश व्यापार नीति 2023 के पैरा 1.02 और 2.04 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 5 के साथ पठित धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक विदेश व्यापार एतद्वारा दिनांक 06 जून, 2024 की अधिसूचना सं. 16/2024-25 में संशोधन करते हैं:

2. दिनांक 06.06.2024 की अधिसूचना सं. 16/2024-25 के हिंदी रूपांतरण में, पैराग्राफ 1 की चौथी पंक्ति और उसके नीचे की तालिका में शब्द '2.30(क)(i)(छ)' को '2.03 (क) (i) (छ)' के रूप में पढ़ा जाएगा।

[फा. सं. 01/89/180/13/एम-15/पीसी-2(क)/ई-5910]

संतोष कुमार सारंगी, महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)****(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)****CORRIGENDUM**

New Delhi, the 12th June, 2024

Subject: Corrigendum to Notification No. 16/ 2024-25 dated 06.06.2024 on enabling provisions for import of inputs that are subjected to mandatory Quality Control Orders (QCOs) by Advance Authorisation holders, EOU and SEZ –regarding

S.O. 2255(E).—In exercise of the powers conferred by Section 3 read with Section 5 of the Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992 (as amended from time to time) read with Para 1.02 and 2.04 of the Foreign Trade Policy 2023; the Director General of Foreign Trade hereby makes amendments in Notification No. 16/2024-25 dated 06th June, 2024.

2. In the English version of Notification No. 16/ 2024-25 dated 06.06.2024, the words ‘2.30(A) (i) (g)’ in the fifth line of Paragraph 1 and in the table thereunder shall be read as ‘**2.03(A) (i) (g)**’.

[F. No. 01/89/180/13/AM-15/PC-2(A)/E-5910]

SANTOSH KUMAR SARANGI, Director General of Foreign Trade & Ex-Officio Addl. Secy.